जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

सामान्य दिशा निर्देशिका

प्री–शास्त्री–शिक्षाशास्त्री (पी.एस.एस.एस.टी.) परीक्षा–2025

संरक्षक

प्रोफेसर डॉ॰ रामसेवक दुबे

कुलपति

समन्वयक

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा

कुलसचिव

अतिरिक्त समन्वयक

श्री मुकेश कुमार वर्मा

वित्त नियंत्रक

सह–समन्वयक	सह–समन्वयक	सह–समन्वयक
डॉ. दिवाकर मिश्र	डॉ. कुलदीप सिंह	डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा
सहायक आचार्य	सहायक आचार्य	सहायक कुलसचिव

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026 (राजस्थान)

हेल्पलाईन नम्बर :– 7073704054

हेल्पलाईन ईमेल :– helpdesk@jrrsu.in

वेबसाईट :

www.jrrsanskrituniversity.ac.in

https://psst2025.jrrsu.in

चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम
पीएसएसएसटी–2025
महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. **पात्रताः** – वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित)
   – सीनियर सेकेण्डरी (10+2) कला वर्ग संस्कृत विषय रहित/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

   (निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक/अर्हतांक के साथ)

2. आवेदन/प्रवेश परीक्षा (पीएसएसएसटी 2025) शुल्क रूपये 500/– (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र)

3. **फोन परामर्श**
   (i) **हैल्पलाईन न.** 7073704054
   (ii) संबंधित वेबसाईट **www.jrrsanskrituniversity.ac.in**
   https://psst2025.jrrsu.in/

4. पीएसएसएसटी 2025 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरे जायेंगे।

5. **पीएसएसएसटी परीक्षा –2025 के आयोजन की तिथि** **बेवसाइट का अवलोकन करते रहें।**

<u>पी.एस.एस.एस.टी 2025 में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन :–</u>

1. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश–परीक्षा की पाठ्यबिन्दु एवं अंकयोजना :–
   (i) पी.एस.एस.एस.टी 2025 द्वारा आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, इसके चार भाग होंगे।
   (ii) प्रश्न की भाषा संस्कृत होगी तथा प्रश्न वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) के स्तर के होंगे।
   (iii) सम्पूर्ण प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।
   (iv) परीक्षा की अवधि 03 घण्टे की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे तथा इनकी जांच में **नकारात्मक अंक पद्धति (Negative Marking Method)** नहीं अपनायी जावेगी।
   (v) प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (उदाहरणार्थ आदर्श प्रश्न पत्र प्रारूप पृ.सं. 13 पर देखें)
   (vi) प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का स्तर वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी स्तर का होगा।

2. पाठ्य बिन्दुः– (i) **संस्कृत भाषा एवं साहित्य – 80 अंक। इसके दो भाग होंगे क और ख।**

   क. **भाषा योग्यता – 40 अंक** विषय क्षेत्र – वर्ण भेद (स्वर, व्यंजन), उच्चारण स्थान, **शब्द रूप**– (देव, राम, छात्र मुनि, कवि, गिरि, साधु, गुरु, भानु, भातृ, पितृ, कर्तृ, लता, बाला, कक्षा, मति, रात्रि, रुचि, नदी, श्रीमती, पत्नी, ज्ञान, मित्र, गृह, वारि, दधि, अस्थि, मधु, अश्रु, वस्तु, अस्मद्, युष्मद्, इदम्, तत्, किम् एवं यत् शब्द रूपों का तीनों लिंगों में ज्ञान।) **धातु रूप**– (पठ्, गम्, नम्, चल्, खाद्, दृशिर्, जि, अस्, भू, पा, हन्, जिघ्र, पत्, स्म्, हस्, रक्ष्, पच्, स्था, क्रुध्, श्रु, वद्, इष्, आप्, लिख्, प्रच्छ्, कृ, सेव्, मुद्, चुर्, लभ्, याच् तथा हृ धातुओं के पाँच लकारों – लट्, लङ्, लृट् लोट एवं विधिलिंग का ज्ञान।) **सन्धि**–(दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप, प्रकृतिभाव, श्चुत्व, ष्टुत्व, जशत्व, चर्त्व, अनुस्वार, अनुस्वारपरसवर्ण, छत्व, सत्व, रुत्व, उत्व एवं विसर्ग सन्धियों से संबंधित सन्धि कार्य एवं सन्धि विच्छेद का ज्ञान।) **समास** –अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वन्द्व तथा बहुव्रीहि समासों से संबंधित सामासिक विग्रह करने एवं समस्त पद बनाने का ज्ञान) **कारक**– कारक विभक्तियों एवं उपपद विभक्तियों का

प्रयोगात्मक ज्ञान, **प्रत्यय**–(शतृ, शनच्, क्त, क्तवतु, तव्यत्, अनीयर्, तुमुन्, क्त्वा, ल्यप्, क्तिन्, मतुप्, इन् ठक्, ठञ्, त्व, तल्, टाप्, ङीप् तथा ङीष प्रत्ययों का ज्ञान) **उपसर्ग,संख्यावाची शब्द, लिंग** एवं **वचनों** का ज्ञान।

ख. **संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक ज्ञान** — 40 अंक (विषय क्षेत्र– वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वेदांग, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों तथा राजस्थानीय अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का परिचयात्मक ज्ञान)

(ii) **सामान्य ज्ञान–40 अंक** (विषय क्षेत्र–भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थान, भूगोल, पर्यावरण, पुरस्कार, खेलकूद, विशिष्टदिवस, समसामयिक घटनाएँ तथा राजस्थान राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान)

(iii) **मानसिक योग्यता–40 अंक** (विषय क्षेत्र– दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता तथा विभेदीकरण, संबंध–मानवीय संबंध, कार्य–कारण संबंध, आधार आधेय संबंध, विश्लेषण, तार्किक चिन्तन, तार्किक योग्यता तथा दर्पण में समय का अभिप्राय)

(iv) **शिक्षण अभिरुचि–40 अंक** (विषय क्षेत्र–शिक्षण –अधिगम, नेतृत्त्व गुण, सृजनात्मकता, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता तथा शिक्षक की भूमिका)

प्री–शास्त्री–शिक्षाशास्त्री टेस्ट–2025 (PSSST-2025)

: : प्रवेश नियम : :

1. राजस्थान के सभी शास्त्री–शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्री शास्त्री–शिक्षाशास्त्री टेस्ट (पी.एस.एस.एस.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान से वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा (संस्कृत विषय सहित)/कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (संस्कृत विषय से रहित) 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा इनके समकक्ष परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) / कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित) परीक्षा के समतुल्य हों तथा इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक (राज्य सरकार के नियमानुसार) प्राप्त किये हों साथ ही प्रवेश की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों, ऐसे अभ्यर्थी पीएसएसएसटी 2025 के माध्यम से शास्त्री–शिक्षाशास्त्री (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु आवेदन करने के योग्य हैं।
2. अर्हक परीक्षा–वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) **तथा कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित)** या समकक्ष उत्तीर्ण या इन परीक्षाओं के अन्तिम वर्ष में 2025 में बैठने वाले विद्यार्थी भी प्री–पीएसएसएसटी 2025 के माध्यम से चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा पीएसएसएसटी परीक्षा 2025 में भाग ले सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी से महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पीएसएसएसटी की अर्हक परीक्षा वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित/रहित) या समकक्ष परीक्षा में प्रविष्ठ अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के समय अर्हक परीक्षा की मूल अंकतालिका अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
3. अर्हक परीक्षा – कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी(संस्कृत विषय रहित) (10+2) के आधार पर शास्त्री–शिक्षाशास्त्री प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को 21 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के माध्यम से संस्कृत भाषा अर्हता अनिवार्य रूप से अर्जित करनी होगी।
4. **विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों में कुल उपलब्ध सीटों से आवेदन पत्रों की संख्या कम/समान होने पर पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में शास्त्री–शिक्षाशास्त्री महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग में पात्रता का आधार अर्हक परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अर्हक परीक्षा प्राप्तांकों का प्रतिशत समान होता है तो वरीयता का निर्धारण जन्म दिनांक के आधार पर (Older First) किया**

जावेगा। यदि जन्म तिथि भी समान पायी जाती है तो वरीयता का निर्धारण सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

5. प्रथमतः संस्कृत विषय सहित अभ्यर्थियों को वर्गवार सीटें आवन्टित करने के पश्चात् शेष रही सीटों को प्रथम काउंसलिंग से ही सामान्य कला (संस्कृत विषय से रहित) विद्यार्थियों को वर्गवार आवंटित की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थियों को 6—माह का संस्कृत ब्रिज कोर्स एवं 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिविर के माध्यम से संस्कृत भाषा अर्हता अनिवार्य रूप से अर्जित करनी होगी।

6. (i) अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की मैरिट सूची पी.एस.एस.एस.टी. 2025 नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

   (ii) यदि दो या दो से अधिक विद्यार्थियों के अर्हक परीक्षा प्राप्तांक समान होंगे तो वरीयता का आधार प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र के भाषा दक्षता भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक होंगे। यदि इनमें भी यदि इसमें भी समानता पाई जाती है तो वरीयता का निर्धारण जन्म दिनांक के आधार पर (older first) किया जावेगा। जन्म दिनांक के समान होने पर मैरिट का आधार अर्हक (वरिष्ठ उपाध्याय/सीनीयर सेकेण्डरी/समकक्ष) परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान होंगे तो वरीयता का निर्धारण दसवीं/समकक्ष कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।

7. शास्त्री—शिक्षाशास्त्री प्रवेश प्रक्रिया में अपवर्ड मूवमेन्ट के संबंध में राज्य सरकार, संस्कृत शिक्षा विभाग के पत्रांक प18(1)संस्कृत शिक्षा/2016 दिनांक 22.06.2023 में दिए गए निर्देशानुसार किसी विद्यार्थी की कोई Grievance प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर, निर्णय राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा तथा राज्य सरकार से इस बाबत प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8. उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा :—

   (i) राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ....16 प्रतिशत

   (ii) राजस्थान के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये ....12 प्रतिशत

   नोट :— राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग के पत्रांक प 10(6) शिक्षा—1/2007 जयपुर दिनांक 18.02.2010 के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उपरोक्त 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। यह आरक्षण अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा घोषित जिलों /क्षेत्र पर लागू होगा।

   (iii) राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ....21 प्रतिशत

   (iv) महिला अभ्यर्थी ....**30** प्रतिशत (सह शिक्षा महाविद्यालयों में मैरिट के आधार पर) महिला शिक्षा महाविद्यालयों में सभी स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे किन्तु इनमें राजस्थान राज्य के आरक्षण नियमों की अनुपालना की जायेगी। महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध स्थानों में 8 प्रतिशत विधवा तथा 2 प्रतिशत विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थियों कों आवंटित किये जायेंगे।

(v) विकलांग अभ्यर्थियों (दृष्टिहीन, मूक एवं बधिर, शारीरिक विंकलाग) न्यूनतम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर – कुल 05 प्रतिशत

(अ) जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ के सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक (सह आचार्य स्तर) से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

(ब) जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ के सी.एम.एच.ओ से अथवा विशेषज्ञता रखने वाले जूनियर स्पेशलिस्ट से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर।

(vi) सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी अथवा उसके वार्ड (आश्रित) के लिये ....05 प्रतिशत।

(vii) कार्मिक विभाग के अशा.टीप. सं. प. 7(1)कार्मिक/क–2/17 जयपुर दिनांक 08.03.19 के अनुसार अति पिछड़े वर्गों (MBC.) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(viii) कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ0 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

नियम 08 का स्पष्टीकरण

(i) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) वार्ड (आश्रित) से अभिप्राय– पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति है। सगे भाई–बहिन भी रक्षाकर्मी के वार्ड माने जा सकते हैं बशर्ते वे उसके आश्रित हो और उनके माता–पिता जीवित न हों।

(iii) रक्षाकर्मी या उसके आश्रित के लिए– सचिव, सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण–पत्र रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(iv) विवाह–विच्छिन्न महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसने पुनः शादी नहीं की है। इसी प्रकार विधवा वर्ग में होने का ग्राम पंचायत/म्यूनिसिपल बोर्ड के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान सभी वर्ग की महिला आवेदकों पर लागू होगा।

(v) राजस्थान का मूल निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु किसी सक्षम अधिकारी–जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विवाहित महिला के सन्दर्भ में उसके पति का मूल निवास राजस्थान में उसका मूल निवास माना जा सकता है बशर्ते पति के निवास का मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाए और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(vi) रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित है/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी हैं उन्हें भी चार वर्षीय

शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है, ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपने संरक्षक के नियोक्ता का प्रमाण पत्र और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त मूल निवास का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण असत्य पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

(vii) EWS श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण–पत्र जो एक वर्ष से अधिक अवधि का ना हो, रिपोर्टिंग के समय आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. महाविद्यालय का आवंटन काउन्सलिंग द्वारा किया जायेगा। काउन्सलिंग एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी इंटरनेट पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.jrrsanskrituniversity.ac.in** पर उपलब्ध होगी। काउन्सलिंग की समय सारणी समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे परिणाम की घोषणा के दिन से प्रमुख समाचार पत्रों एवं ऊपर वर्णित वेबसाइट देखते रहें। काउन्सलिंग के समय आपको वरीयता क्रम से उन महाविद्यालयों का चयन करना चाहिए जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे, महाविद्यालय का चयन करते समय यह सावधानी रखनी है कि आप किसी ऐसे महाविद्यालय को नहीं चुने जहाँ आपके संकाय से संबंधित विषय/आधुनिक विषय अभ्यास शिक्षण विषय के रूप में उपलब्ध ही न हो। किन्हीं अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर या काउन्सलिंग के समय जो कॉलेज उनको आवंटित किया जाता है उसे अस्वीकार करने पर वे चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.एस.एस.एस.टी 2025 द्वारा निर्धारित मेरिट में से अपना स्थान खो देंगे। एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन (व्यक्तिगत स्थानान्तरण अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण के रूप में) हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन/प्रवेश परीक्षा (पीएसएसएसटी–2025) शुल्क रू॰ 500/– (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) हैं, जो Non-Refundable (वापसी योग्य नहीं) है।

ऑनलाइन काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रू. 5000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। **यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत तथ्यों यथा – अर्हक परीक्षा उत्तीर्णता प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना, गलत कैटेगरी में अपने आपको पंजीकृत करना आदि के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करवा कर ऑनलाइन प्रवेश लेने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का सम्पूर्ण पंजीकरण राशि रू॰ 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) जब्त कर ली जावेगी एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**

केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था द्वारा प्रवेश प्राप्त कर चुके प्रत्येक अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में रू॰ 26930/– (अक्षरे रुपये छब्बीस हजार नौ सौ तीस मात्र) या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिये जायेंगे। (रू॰ 5000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क

+ रू. 21930/– (अक्षरे रुपये इक्कीस हजार नौ सौ तीस मात्र) शिक्षण शुल्क कुल राशि रूपये 26930/– (अक्षरे रुपये छब्बीस हजार नौ सौ तीस मात्र)) ली जावेगी। (यदि राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क की राशि बढ़ायी जाती है तो उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवानी होगी)

10. **शुल्क वापसी**– चयनित अभ्यर्थी के आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होने पर पूर्व में जमा की गई पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5000/–(अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) मे से रूपये 200/– (अक्षरे रुपये दौ सौ मात्र) कटौती कर लौटा दिया जावेगा। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के पश्चात् किसी कारण से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया हो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम काउंसलिंग के पश्चात् उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में लौटा दी जायेगी। बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से होना अनिवार्य है।**

11. **महाविद्यालय को चाहिए कि रिपोर्टिंग के समय आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को प्रवेश दें। यदि आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश देने के बाद वह अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर /किसी भी कारण से अपात्र पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय से पाठ्यक्रम शुल्क राशि रूपये 26930/– की दुगनी राशि बतौर पेनल्टी वसूल की जावेगी तथा पात्रता संबंधी असत्य तथ्यों के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से बतौर पेनल्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार मात्र) जब्त कर ली जावेगी, शेष राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही लौटाई जावेगी। ऐसे अभ्यर्थी को इस हेतु अंतिम काउंसलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, उक्त समयावधि पश्चात् ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।**

12. किसी भी अभ्यर्थी को पीएसएसएसटी 2025 की वरीयता के आधार पर उसके द्वारा चयनित किसी भी शास्त्री–शिक्षाशास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का हकदार नहीं हो जाता।

13. महिला अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार सह शिक्षा वाले महाविद्यालय में 30 प्रतिशत तक सीटें आवंटित की जा सकेंगी।

14. **शिक्षण विषय का चयनः–**

    (i) चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर चुके सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम शिक्षण विषय के रूप में "संस्कृत शिक्षण" लेना अनिवार्य होगा। द्वितीय शिक्षण विषय का निर्धारण चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में लिए गये ऐच्छिक/सहायक विषयों के आधार पर किया जावेगा। इस पाठ्यक्रम में द्वितीय शिक्षण विषय के चयन का आधार वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित)/कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2)

(संस्कृत विषय से रहित) समकक्ष परीक्षा में ऐच्छिक आधुनिक विषय के रूप में लिए गये ऐच्छिक/सहायक विषय होगें।

(ii) 'शिक्षण विषय' से अभिप्राय है' ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम स्तर पर लिया हो। यह विषय अनिवार्य ऐच्छिक एवं सहायक विषय भी हो सकता है।

(iii) जिन अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) /कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित)/समकक्ष परीक्षा में ऐच्छिक आधुनिक विषय के रूप में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान विषय में से कोई एक विषय लेकर अध्ययन किया हो और इसे उत्तीर्ण की हो तो उन्हें चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में सामाजिक ज्ञान, (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय सहित) /कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित)/ समकक्ष परीक्षा को राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उत्तीर्ण की है वे चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु द्वितीय शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने के पात्र होंगे।

(v) द्वितीय शिक्षण विषय निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में समन्वयक PSSST–2025 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

15. **पात्रता नियमों का स्पष्टीकरण–**

(i) चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा (संस्कृत विषय सहित)/कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण की हो तथा प्रवेश की अन्य शर्तें पूर्ण करते हों चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र होगें।

(ii) चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों में जो विषय अभ्यास शिक्षण (Pratice Teaching) विषयों में अंकित है उनके अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षण विषय लेने में असमर्थ हैं, उन्हें पीएसएसएसटी–2025 परीक्षा में नहीं बैठना चाहिये।

(iii) जो अभ्यर्थी पीएसएसएसटी–2025 के लिए आवेदन–प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से क्रिसी एक शर्त को भी पूरी नहीं करते है तो उसे पीएसएसएसटी–2025 के लिए आवेदन नहीं करना चाहिये। रिपोर्टिंग की तिथि तक

निर्धारित अर्हक–परीक्षा की मूल अंक तालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

16. **सामान्य निर्देश–**

(i) अभ्यर्थी को पीएसएसएसटी–2025 सामान्य निर्देशिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और उनकी पालना करनी चाहिये।

(ii) प्रथमतः अभ्यर्थी को पीएसएसएसटी–2025 में बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिये। क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन–पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की अपनी है जो उसे चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार उस दशा में नहीं देता, यदि बाद में यह पता चले कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु या पीएसएसएसटी–2025 में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता, क्योंकि पीएसएसएसटी–2025 परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम है, उसे यदि प्रवेश परीक्षा की अंक सूची भी दे दी जाती है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित साइज में **छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं बांयें हाथ के अंगूठे का निशान** अपलोड़ करें (बायें हाथ का अंगूठा नहीं होने की स्थिति में दाहिने हाथ का अंगूठा निशान, दाहिना हाथ अंगूठा नहीं होने की स्थिति में किसी भी हाथ की अंगुली का निशान)। आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन–पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) प्रवेश अर्हता सम्बन्धी असत्य तथ्यों को प्रमाणीकृत करने तथा इनके आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी। ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालय पर कार्यवाही करते हुए पाठ्यक्रम शुल्क की दुगनी राशि बतौर पैनल्टी वसूल की जाएगी तथा न्यायिक वाद की स्थिति में वाद सम्बंधी समस्त व्यय राशि भी महाविद्यालय से वसूल की जाएगी।

(v) पी.एस.एस.एस.टी.–2025 का आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य (Refundable) नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं केवल उन्हें ही आवेदन करना चाहिये।

(vi) वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा (संस्कृत विषय सहित)/कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित) से अभिप्राय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर राजस्थान द्वारा ली जाने वाली सीनियर सेकेण्डरी की उपाधि से है। समकक्ष का अभिप्राय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड की समतुल्य परीक्षा जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो।

(vii) पीएसएसएसटी काउन्सलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी के द्वारा महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा पाठ्यक्रम को छोड़ने की स्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा जमा शिक्षण एवं पंजीयन शुल्क किसी भी दशा में वापसी योग्य (Refundable) नहीं है।

17. **परीक्षा में उत्तर चयन–**

(i) परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक के अनुरूप **काली स्याही के बॉल पेन** से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिये। एक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक गोले को गहरा काला करना है। एक बार गोला काला कर या डॉट आदि लगाकर उसे काटना या हटाना उचित नहीं है। एक प्रश्न में उत्तर में यदि एक से अधिक गोलों पर कोई निशान आने पर उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा। उत्तर पत्रक पर इधर–उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलैट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। कम्प्यूटर स्कैनिंग से मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

(ii) टेस्ट बुकलैट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करे और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करे।

18. **महाविद्यालय का आवंटनः–**

(i) अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पी.एस.एस.एस.टी.–2023 नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ii) दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट में वरीयता का आधार प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र के भाषा दक्षता भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक होंगे। यदि इसमें भी समानता पाई जाती है तो वरीयता का निर्धारण जन्म दिनांक के आधार पर (older first) किया जावेगा। जन्म दिनांक के समान होने पर मैरिट का आधार अर्हक (वरिष्ठ उपाध्याय/सीनियर सेकेण्डरी) परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान होंगे तो वरीयता का निर्धारण दसवीं/समकक्ष कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।

(iii) राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्थानान्तरण नहीं होगा।

(iv) प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के बीच में तथा महाविद्यालय का परस्पर स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।

19. **आवेदन–पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश–**

आवेदन पत्र ऑन लाईन माध्यम से भरे जायेंगे। आवेदन पत्र में चाही गई विभिन्न सूचनाएँ (व्यक्तिगत, शैक्षणिक, पत्राचार, बैंक विवरण, इत्यादि) निर्धारित कॉलम/स्थान पर अभ्यर्थी द्वारा सावधानी पूर्वक, सत्य एवं प्रमाणिक रूप से दी जानी चाहिए।

20. **आंवटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के दौरान निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–**

(i) आवेदन पत्र की प्रति एवं महाविद्यालय का आवंटन पत्र।

(ii) अर्हक परीक्षा की सभी अंक तालिकाओं की फोटो प्रतियाँ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पद की मुद्रा सहित प्रमाणित हो/स्व प्रमाणित हो।

(iii) सेकण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र व अंक सूची की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(iv) मूल निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(v) आरक्षण श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण–पत्र।

(vi) अन्य जो भी लागू हो, की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि।

21. प्रवेश–पत्र बेवसाईट के माध्यम से प्राप्त किये जा सकेंगे किसी स्थिति में प्रवेश पत्र न मिलने पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अपना प्रवेश–पत्र परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व उसे आवंटित परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क कर वांछनीय दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्राप्त कर लेना चाहिये। प्रवेश–पत्र में आवंटित केन्द्र का उल्लेख रहता है।

22. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2025–26 हेतु चार वर्षीय शास्त्री–शिक्षाशास्त्री एकीकृत

पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों के विरूद्ध प्रवेश से संबंधित न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा एवं इसके लिए संपूर्ण रूप से प्राचार्य जिम्मेदार होगा।

23. **परिणाम की घोषणा–**

(i) परीक्षा परिणाम jrrsanskrituniversity.ac.in पर उपलब्ध होगा।

(ii) अभ्यर्थी की अंक सूची व अन्य सूचनाएँ ऊपर वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध होंगी।

24. पीएसएसएसटी–2025 से संबन्धित नवीनतम सूचना के लिए समय–समय पर वेबसाईट jrrsanskrituniversity.ac.in का अवलोकन करते रहें, अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

25. महाविद्यालयों हेतु विशेष निर्देश :–

1. महाविद्यालय को यह निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सूचनाएं पूर्ण एवं सत्य प्रविष्ट करें।
2. अथ्यर्थी द्वारा जब महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की जाती है तो आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियों की जांच करते हुए उनके सही एवं प्रमाणिक पाए जाने पर ही उन्हें प्रवेश देने हेतु पोर्टल पर कार्यवाही सम्पादित करें
3. जो अभ्यर्थी महाविद्यालय में आवंटित किए गए हैं परन्तु जो रिपोर्टिंग हेतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, उनके संबंध में पोर्टल पर कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावे
4. जो अभ्यर्थी महाविद्यालय को आवंटित किए गए है तथा जो महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करते है उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं को प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेज/अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से भली–भांति जांच उपरान्त ही प्रवेश देवें । गलत तथ्यों के आधार पर प्रवेश देने पर महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा ।
5. महाविद्यालय को यह सूचित किया जाता है कि उक्त डेटा का उपयोग भविष्य में परीक्षा आवेदन पत्रों हेतु भी किया जा सकता है, तत्समय आपके/अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अप्रमाणित व गलत सूचनाओं को संशोधन/बदलाव किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगें। ई–मित्र अथवा अन्य किसी पर दोषारोपण किया जाना प्रमाणित नहीं माना जावेगा।
6. यदि इस प्रकार के कोई प्रकरण विश्वविद्यालय में प्राप्त होते हैं, तो पीएसएसटी, पीएसएसएसटी, पीएसएटी –2025 संचालन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

नोट– कला संकाय से सीनियर सेकेण्डरी (10+2) (संस्कृत विषय से रहित) के अभ्यर्थियों द्वारा प्रकृत नियमान्तर्गत शास्त्री शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु आवेदन, महाविद्यालयों में प्रवेश, विषयों का चयन, आवंटित विषयों का अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा शास्त्री शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त होने वाली अंकतालिका एवं उपाधि राज्य सरकार, एनसीटीई व विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित एवं संशोधित नियमों के अधीन एवं व्यापक जनहित में है। किसी भी आपत्ति का निवारण इन्हीं नियमों के अध्यधीन किया जा सकेगां।

महत्त्वपूर्ण सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कानून के अनुसार एक अपराध है। तदनुसार प्री–शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना तथा उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहयोग करने वालों को 03 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/–रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजायें हो सकती हैं।

समन्वयक

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा

कुलसचिव

अतिरिक्त समन्वयक

श्री मुकेश कुमार वर्मा

वित्त नियंत्रक

सह–समन्वयक
डॉ. दिवाकर मिश्र
सहायक आचार्य

सह–समन्वयक
डॉ. कुलदीप सिंह
सहायक आचार्य

सह–समन्वयक
डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा
सहायक कुलसचिव

आदर्श–प्रश्न–पत्रप्रारूपम् पी.एस.एस.एस.टी.–2025

पूर्णांकाः 200 अङ्काः

1. संस्कृतभाषा साहित्यञ्च–80 अङ्काः

'क' भागः भाषा योग्यता– 40 अङ्काः

1. 'स' वर्णस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति–
अ. कण्ठः ब. जिह्वा स. तालु द. मूर्धा

2 'लृ' वर्णस्य कति भेदाः भवन्ति?
अ. एकादश ब. द्वादश स. पञ्चदश द. षोडश

3. 'यथोचितम्' इति पदस्य सन्धि–विच्छेदः भवति–
अ. यथो+ओचितम् ब. यथा+ओचितम् स. यथो+उचितम् द. यथा+उचितम्

4. 'गनतव्यः' अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः?
अ. क्त प्रत्ययः ब. क्तवतु प्रत्ययः स. तव्यत् प्रत्ययः द. तुमुन प्रत्ययः

5. 'दानवीराः' इति पदस्य सामासिक–विग्रहः भवति–
अ. दाने वीराः ब. दानात् वीराः
स. दानस्य वीराः द. दानवेषु वीराः

6. 'गुरवे' इति रूपम् अस्ति–
अ. सप्तमी वि–भक्तेः ब. चतुर्थी विभक्तेः स. सम्बोधनस्य द. षष्ठी विभक्तेः

7. 'दृशिर' धातोः लृटि प्रथमपुरूषैकवचने किं रूपं भवति ?
अ. द्रक्ष्यति ब. दृश्यति स. दृशिस्यति द. पश्ययिस्यति

8. 'स्वाहा' योगे का विभक्तिः ?
अ. पञ्चमी ब. तृतीया स. चतुर्थी द. द्वितीया

9. 'एकोनविंशति' संख्या अस्ति–
अ. 29 ब. 19 स. 21 द. 20

10. 'प्रत्युपकारः' इति पदे कः उपसर्गः ?
अ. 'प्र' ब. 'परि' स. 'प्रति' द. 'उप'

'ख' भागः संस्कृतसाहित्यज्ञानपरीक्षणम्– 40 अङ्काः

1. कविकुलगुरुः कः?
अ. मासः ब. कालिदासः स. वेदव्यासः द. कुमारदासः

2. रामायणस्य रचयिता कः?
अ. भारविः ब. तुलसीदासः स. वाल्मीकिः द. भवभूतिः

3. पुराणानि कति सन्ति?
अ. अष्टादश ब. पञ्चदश स. त्रयोदश द. एकादश

4. प्रदत्तविकल्पेषु वैदिक साहित्यं नास्ति–
अ. वेदाः ब. आरण्यक ग्रन्थाः स. रामायणम् द. ब्राह्मणग्रन्थाः

5. चतुर्षु विकल्पेषु आस्तिक–दर्शनं नास्ति–
अ. वेदान्तः ब. न्यायः स. चार्वाकः द. सांख्यः

6. महाकविमाघस्य रचना अस्ति–
अ. नैषधीयचरितम् ब. किरातर्जुनीयम् स. कुमारसम्भवम् द. शिशुपालवधम्

7. 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' इति नाटके नायकः कः ?
अ. दुष्यन्तः ब. दुर्वासाः स. कण्वः द. श्यमन्तकः

8. 'पञ्चतन्त्रम्' इति ग्रन्थस्य लेखकः कः ?
अ. हरिशर्मा ब. विष्णुशर्मा स. नारायणपण्डितः द. विष्णुदत्तशर्मा

9. राष्ट्रभक्तशिवाजीमहाराजस्य जीवनाधारितं गद्यकाव्यमस्ति–
अ. दिग्विजयः ब. जयविजयः स. शिवाजीविजयः द. शिवराजविजयः

10. 'पद्मिनी' इति ऐतिहासिक–गद्यकाव्यस्य रचयिता कः ?
अ. कलानाथ शास्त्री ब. प्रभाकर शास्त्रीं स. पं. मोहनलाल शर्मा द.पं. प्यारेमोहन शर्मा

2. सामान्यज्ञानम्– 40 अङ्काः

1. राष्ट्रगीतस्य लेखकः कः?
अ. रविन्द्रनाथः ब. बंकिमचन्द्रः स. नरेन्द्रनाथः द. एम.जी.रामचन्द्रः

2. 'अन्ताराष्ट्रियमहिलादिवसः' कदा सम्मान्यते ?
अ. मार्च–मासि अष्ट तारिकायां ब. अप्रैल–मासि अष्ट तारिकायां
स. माच–मासि दश तारिकायां द. अप्रैल–मासि दश तारिकायां

3. पादकन्दुकम् (फुटबाल) क्रीडया सम्बन्धितः अस्ति–
अ. रोजर्स कप ब. डेविस कप स. रणजी ट्रॉफी द. नाइक कप

4. 1998 तमे वर्षे राजस्थानराज्यस्य केन क्रीडकेन "खेलरत्नम्" इति पुरस्कारः प्राप्तः ?
अ. रामारामः ब. दीनारामः स. हीरारामः द. लिम्बारामः

5. लौह–अयस्क–उत्पादकं राज्यम् अस्ति–
अ. राजस्थानम् ब. बिहारः स. मध्यप्रदेशः द. उडीसा

6. 'मैगसेसे पुरस्कारः' कस्य स्मृतौ दीयते ?
अ. अमेरिका देशस्य भूतपूर्व–राष्ट्रपतेः ब. फिलीपीन्स देशस्य भूतपूर्व–राष्ट्रपतेः
स. ग्रेटब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः द. पाकिस्तान देशस्य प्रधानमन्त्रिणः

7. भारते 'उपग्रहप्रक्षेपणकेन्द्रं' कुत्रास्ति ?
अ. कोटानगरे ब. श्रीहरिकोटास्थाने स. बैंगलूरनगरे द. त्रिचूरनगरे

8. शरीरे अस्थीनां संख्या कियती ?
अ. 216 ब. 206 स. 203 द. 214

9. भारतीयखगोलविज्ञानी कः ?
अ. भास्कराचार्यः ब. वराहमिहिरः स. आर्यभट्टः द. आर्यशूरः

10. 'चम्बल नद्याः' उद्गमस्थलं कस्मिन् प्रदेशे वर्तते ?
अ. गुजरातप्रदेशे ब. मध्यप्रदेशे स. राजस्थानप्रदेशे द. महाराष्ट्रप्रदेशे

3. मानसिकयोग्यता – 40 अङ्का:

1. प्रदत्तशब्देषु कश्चन् शब्दः अन्येभ्यः भिन्नः अस्ति। सः भिन्नः शब्दः कः ?
अ. धेनुः ब. अजा स. श्वा द. कपोतः

2. अग्रिमसंख्यां विज्ञापयत– 2,3,5,8,12,17......................?
अ. 34 ब. 24 स. 23 द. 33

3. 'नख' इति पदस्य उचितः विलोमः कः ?
अ. अङ्गुष्ठम् ब. केशः स. मस्तकम् द. शिखः

4. प्रथमपदेन सह द्वितीयपदस्य यः सम्बन्धः अस्ति तमेव सम्बन्धं तृतीयपदेन सह संस्थापयत–मानवः– स्थलम् मीनः– ?
अ. भूमिः ब. वायुः स. जालम् द. जलम्

5. अद्य रमेशस्य जन्मदिवसः। दशवर्षपवूं तस्य यावत् वयः आसीत् अग्रिमे वर्षे तस्मात् द्विगुणितं भविष्यति तर्हि रमेशस्य वयः कियत् ?
अ. 20 वर्षाणि ब. 21 वर्षाणि स. 17 वर्षाणि द. 18 वर्षाणि

6. यदि दर्पणे घटिका समयः 9.30 इति दृश्यते तु वास्तविकः समयः कः ?
अ. 2.30 ब. 3.30 स. 12.30 द. 6.30

7. वर्षे गणतन्त्र–दिवसः यदि रविवासरे आयाति तर्हि नूतन वर्षारम्भः कस्मिन् वासरे भविष्यति ?
अ. बुधवासरे ब. शुक्रवासरे स. मंगलवासरे द. गुरुवासरे

8. चतस्रः भगिन्यः सन्ति। लता रमायाः कनिष्ठा अस्ति। गौरी सरलायाः कनिष्ठा भगिनी। सरला रमायाः ज्येष्ठा भगिनी। गौरी लतायाः कनिष्ठा भगिनी। वयसः क्रमेण तृतीयक्रमे का अस्ति ?
अ. गौरी ब. रमा स. लता द. सरला

9. द्वादश (12) श्रमिकाः कमपि कार्यं चतुर्विंशति (24) दिवसेषु पूरयन्ति। तदेव कार्यं अष्ट (08) श्रमिकाः कतिदिवसेषु समापयिष्यन्ति ?
अ. 30 दिवसेषु ब. 32 दिवसेषु स. 34 दिवसेषु द. 36 दिवसेषु

10. प्रदत्तशब्दश्रृंखलामाधृत्य लुप्तं पदं विज्ञापयत–
फलम्–पुष्पम्–पत्रम् ?
अ. आपणः ब. मार्गः स. काष्ठम् द. तरुः

4. शैक्षिकाभिरुचिः – 40 अङ्का:

1. छात्राणां व्यवहार–परिवर्तनाय श्रेष्ठतमा पद्धति अस्ति–
अ. पारितोषिक–प्रदानम् ब. शारीरिक–दण्ड–विधानम्
स. परामर्श–प्रदानम् द. कक्षा तः निष्कासनम्

2. कक्षा अनुशासन–व्यवस्थायै सर्वाधिकः प्रभावपूर्ण उपायः वर्तते–
अ. अनुशासनहीन–छात्राणां निष्कासनम्।
ब. शिक्षणे रोचकता उत्पादनम्।
स. अनुशासनहीन–छात्रेभ्यः सौविध्य–प्रदानम्।
द. अनुशासनहीन–छात्राणां अभिभावकेभ्यः सूचना प्रदानम्।

3. शिक्षकेभ्यः अधिगम–सिद्धान्तानां ज्ञानम् आवश्यकं भवति, यतः–
अ. अनेन समय–हानिः न भवति।
ब. अनेन सुगमरीत्या पाठ्यवस्तुनः अवबोधो भवति।
स. अनेन अनुशासन–व्यवस्थायां सहायता भवति।
द. अनेन पाठ्यवस्तु रोचकः भवति।

4. भवन्तः कस्यापि छात्रस्य मूल्याकनं कथं करिष्यन्ति ?
अ. वार्षिक–परीक्षा– अङ्कान् आश्रित्य।
ब. नियमिततां निष्ठां चाश्रित्य।
स. पाठ्यसहगामि क्रियासु प्रतिभागिताम् आश्रित्य।
द. सततमूल्यङकन–प्रक्रियाम् आश्रित्य।

5. यदि कोऽपि छात्रः भवतां प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति तु भवन्तः–
अ. तस्मै दण्डं दास्यन्ति।
ब. स्वयमेव उत्तरं दास्यन्ति।
स. अन्येभ्यः उत्तरं प्राप्स्यन्ति।
द. कारणं ज्ञास्यन्ति।

6. सहयोगी–शिक्षकैः सह मधुर–सम्बन्ध–स्थानायै भवन्तः कि करिष्यन्ति ?
अ. तेषां प्रशंसा।
ब. तेभ्यः 'ट्यूशन' व्यवस्था।
स. तेषां सहयोगः।
द. तेषां आज्ञापालनम्

7. विद्यार्थिषु सहयोग–भावना विकासाय किं कर्तव्यम् ?
अ. उपदेश–प्रदानम्
ब. चित्र–प्रदर्शनम्
स. सामूहिक–कार्यस्य आयोजनम्
द. रचनात्मक–कार्यस्य आयोजनम्

8. यदि छात्राः कदाचित् विषय–अध्यापने ध्यानं न ददति, तु भवन्त–
अ. तेभ्यः कथा–कथनं करिष्यन्ति।
ब. तेभ्यः दण्डविधानं करिष्यन्ति।
स. रचनात्मक–कार्यस्य आयोजनं करिष्यन्ति।
द. अवकाशस्य घोषणां करिष्यन्ति।

9. विद्यालयेषु राष्ट्रिय–सेवा–योजना (N.S.S.) इत्यस्य प्रशिक्षणं कियर्थं दीयते ?
अ. नेतृत्व–गुणानां विकासाय
ब. राष्ट्र–रक्षायै
स. सहयोग–भावना–विकासाय
द. उक्तेभ्यः सर्वेभ्यः

10. भवन्तः शिक्षकरूपेण किमर्थम् अतिरिक्तम् उत्तरदायित्वं स्वीकरिष्यन्ति ?
अ. पदोन्नतये ब. नूतन–ज्ञान–प्राप्तये स. प्रशंसायै द. अर्थोपार्जनाय

शास्त्री–शिक्षाशास्त्री हेतु विद्यालय शिक्षण विषय	परीक्षा केन्द्र का नाम
विषय	**परीक्षा केन्द्र (राजस्थान)**
हिन्दी	जयपुर
अंग्रेजी	अजमेर
सामाजिक अध्ययन	उदयपुर
नागरिक शास्त्र	अलवर
भूगोल	सीकर
इतिहास	कोटा
अर्थशास्त्र	बांसवाड़ा
गृहविज्ञान	जोधपुर
गणित	बीकानेर
संस्कृत	सवाई माधोपुर
	भरतपुर
	परीक्षा केन्द्र (राजस्थान से बाहर)
	दरभंगा (बिहार)
	दिल्ली
	हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
	बनारस (उत्तर प्रदेश)
	मथुरा (उत्तर प्रदेश)
	उज्जैन (मध्य प्रदेश)
	द्वारिका (गुजरात)
	रोहतक (हरियाणा)
	जगन्नाथपुरी (उडीसा)
	कलकत्ता (प0बंगाल)
	तिरूपति (आंध्र प्रदेश)

(नोट– 1. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को तीन परीक्षा केन्द्रों का चयन वरीयता आधार पर करना होगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी दो परीक्षा केन्द्र राजस्थान राज्य के बाहर के चयन कर सकते हैं तथा तीसरा परीक्षा केन्द्र राजस्थान का चयन करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी तीनों परीक्षा केन्द्र राजस्थान राज्य के चयन कर सकते हैं।

2. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्रों के संबंध में बदलाव किया जा सकता है इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। राजस्थान राज्य के बाहर परीक्षा केन्द्रों हेतु उन्हीं स्थानों पर परीक्षा केन्द्र रखे जावेंगे. जहाँ पीएसएसटी–2025 के परीक्षा केन्द्र रखें गये होंगे।

3. अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक परीक्षा केन्द्रों का चयन करना चाहिए।

12वीं परीक्षा के विषय	12वीं परीक्षा के विषय
नागरिक शास्त्र	संस्कृत
अर्थशास्त्र	समाजशास्त्र
अंग्रेजी	राजनीति विज्ञान
भूगोल	लोकप्रशासन
हिन्दी	दर्शनशास्त्र
इतिहास	मनोविज्ञान
गणित	गृहविज्ञान एवं उच्च माध्यमिक कला वर्ग के अन्य समस्त विषय